फाइल सं0: 61-1/95- ई आई एण्ड ई पी (1662)

(45)

भारत सरकार
वाणिज्य मंत्रालय

29/12/03

नई दिल्ली, दिनांक 19-12-2003

सेवा में,

सहायक प्रबंधक [तकनीकी]
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
रिंग रोड़, नयी दिल्ली। अंडा उत्पादों से संबंधित आदेश सं 2077 तारीख

विषय: 4 अगस्त, 1997 में संशोधन करने से संबंधित आदेश ~~अधिसूचना~~ को प्रकाशन भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3 उप खंड-[ii] तारीख: 19-12-2003 में प्रकाशनार्थ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर अधिसूचना की एक प्रति भेजने का निदेश हुआ है तथा आपसे अनुरोध है कि इसे भारत के राजपत्र 19-12-2003 तारीख में प्रकाशित किया जाए। अधिसूचना का रूपान्तर हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में है।

2. आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि इस मंत्रालय को राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात उपरोक्त आदेश की 100/~~300~~ अतिरिक्त प्रतियां संलग्न मांगपत्र के अनुसार निम्नलिखित पते पर शीघ्र प्रस्तुत करें।

वाणिज्य मंत्रालय, ईआई एण्ड ई पी विभाग,
कक्ष नं0 563, उद्योग भवन, नयी दिल्ली।

3. जिस राजपत्र में प्रकाशित हुए है उनकी का0आ0संख्या, पृष्ठ तथा तारीख इस मंत्रालय को सूचित की जाए।

ह0

भवदीय, (राज सिंह)
उप सचिव

प्रतिलिपि: संदर्भित आदेश की एक प्रति निदेशक [निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण], निर्यात निरीक्षण परिषद, नयी दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रस्तुत।

निम्नलिखित को सूचनार्थ, मांगपत्र की एक प्रति प्रेषित।
1. प्रिंटिंग निदेशालय, निर्माण भवन, नयी दिल्ली।
2. रोकड़- II, अनुभाग।
3. गार्ड फाइल।
4. ई पी अनुभाग
5. अनुभाग अधिकारी

(राज सिंह)
उप सचिव

JDC(R3)
DD(CSC)
For circulation to all concerned

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, DATED 19-12- 2003]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
DEPARTMENT OF COMMERCE

ORDER

1442 (E) New Delhi, the 19th December, 2003

S.O. (E).- Whereas, for the development of the export trade of India, certain proposals for amending the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce Order number S.O. 2077 dated the 4th August 1997 regarding maximum residue limits (MRLs) for antibiotics, organochlorine compounds and pyrethroids in egg products were published vide Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry number S.O. 1037(E) dated the 9th September, 2003, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 9th September, 2003, as required under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964.

And, whereas, the objections and suggestions were invited from all the persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And, whereas, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on 11th September, 2003.

And, whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposal have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby makes the following amendments in the Order number S.O. 2077 dated the 4th August 1997, namely: -

1. In the said Order, after clause (d), the following shall be inserted, namely: -

"(e) specifies the maximum residual limits (MRLs) for antibiotics, organochlorine compounds and pyrethroids in egg powder as given below, namely:-

(1) Antibiotics

Antibiotics	Maximum residue limits
Erythromycin	150 μg/kg.
Tylosin	200 μg/kg.
Lincomycin	50 μg/kg
Neomycin	500μg/kg
Colistin	300 μg/kg.
Chlortetracycline	200 μg/kg
Oxytetracycline	200 μg/kg
Tetracycline	200 μg/kg
Spectinomycin	200 μg/kg
Tiamulin	1000μg/kg
Josamycin	200μg/kg
Oxalinic Acid	50μg/kg

(2) Anti- parasitic agents piperazine derivatives

Piperazine	2000μg/kg
Flubendazole	400μg/kg
Amprolium	1000μg/kg

(3) Organochlorine Compounds

Compounds	MRL in mg/kg
Aldrin, Dieldrin	0.02 (Combined limit)
Chrorthalonil	0.01
DDT (all isomers)	0.05(combined limit)
Dicofol	0.05
Dieldrin	0.02
a-Endosulfan	0.1
Endosulfan sulphate	0.005
Endrin	0.005
HCH(all isomers)	0.03(combined limit) α 0.02 β 0.01
Lindane (γ-HCH)	0.1
Methoxychlor	0.01
PCB	0.01

(4) Pyrethroids

Cypermethrin	0.05
Deltamethrin	0.05
Permethrin	0.05
α-cypermethrin	0.05

(f) The use of following antibiotics and other pharmacological active substances shall be prohibited in manufacture of feed, medication of chicken and poultry, or at any stage of production of egg powder:

Chloramphenicol
Dimetridazole
Metronidazone
Nitrofurans Metabolites including 3-Amino-2- Oxalidinone (AOZ), Semi Carbazide (SEM), 5-Methyl-Morpholino-3 Amino-2 Oxalididone (AMOZ) and 1- amino-hydantoin
Anticoccidials including nitroimidazoles.

Provided that if the MRLs fixed by the importing countries are more stringent than the limits herein specified, the MRLs specified by the importing countries shall be complied with."

2. Specifies the type of quality control and inspection in accordance with the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) (Amendment) Rules, 2003 as the type of quality control, inspection and monitoring which shall be applied to such Egg products prior to export.

[F.No.6/1/95-EI&EP]

M.V.P.C. Sastry,
Joint Secretary.

Note: The principal Order was published vide S.O. 2077 dated the 4th August, 1997 in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 23rd August, 1997.

[भारत के राजपत्र,असाधारण भाग - 2 , खंड - 3, उपखंड -(ii)
तारीख 19 - 12 - 2003 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2003

का0आ0 (अ) केन्द्रीय सरकार ने भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये अंडा उत्पादों में एंटी बायोटिक्स आरगेनोक्लोरीन कंपाउंड और पाइरीथोडस की अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं (एमआरएल्स) से संबंधित कतिपय प्रस्तावों की संशोधित अधिसूचना भारत सरकार के पूर्ववर्ती वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं0 का.आ. 2077 तारीख 4 अगस्त, 1997 के द्वारा निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 के अधीन निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के साथ पठित नियम 11 की अपेक्षानुसार आदेश सं0 का.आ.1037 (अ) तारीख 9 सितम्बर 2003 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग - 2, खंड - 3, उपखंड - (ii) में प्रकाशित किए गए थे,

और इससे प्रभावित होने वाले उन सभी व्यक्तियों से उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 11 सितम्बर 2003 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त प्रारुप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात् यह राय हो जाने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, आदेश सं. 2077 तारीख 4 अगस्त, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. उक्त आदेश में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ड.) अंडा पाउडर में एंटोबायोटिक्स आरगेनोक्लोरीन कम्पाउंड और पाइरीथोडस के लिए नीचे दिए गए अनुसार अधिकतम अवशिष्ट सीमाएं विनिर्दिष्ट करना, अर्थात्:-

(1) एंटोबायोटिक्स

एंटोबायोटिक्स	अधिकतम अवशिष्ट सीमाएं
एरीथ्रोमाइसिन	150 µ ग्राम / किलो ग्राम
टाइलोसीन	200 µ ग्राम / किलो ग्राम
लीनकोमाइसीन	50 µ ग्राम / किलो ग्राम
नीओमाइसीन	500 µ ग्राम / किलो ग्राम
कोलीसटोन	300 µ ग्राम / किलो ग्राम
केलोरटेट्रासाइक्लीन	200 µ ग्राम / किलो ग्राम
आक्सीटेट्रासाइक्लीन	200 µ ग्राम / किलो ग्राम
टेट्रासाइक्लीन	200 µ ग्राम / किलो ग्राम
स्पक्टीनोमाइसिन	200 µ ग्राम / किलो ग्राम
थाईमूलीन	1000 µ ग्राम / किलो ग्राम
जोसमाइसीन	200 µ ग्राम / किलो ग्राम
ओक्सालीनीक एसिड	50 µ ग्राम / किलो ग्राम

(2) एंटी पारासीठीक एजेंट्स पाइप्राजीन, डेरिवेटिव्स।

पाइप्राजीन	2000 µ ग्राम / किलो ग्राम
फ्लूबेनडाज़ोल	400 µ ग्राम / किलो ग्राम
एमप्रोलियम	1000 µ ग्राम / किलो ग्राम

(3) आरगेनोक्लोराइन कम्पाउंड

कम्पाउंड	एमआरएल मि.ग्रा./किग्राम
एलड्रीन, डायलडीन	0.02 (संयुक्त सीमा)
क्रोथाइलोनील	0.01
डीडीटी (आल आइसोमरस)	0.05 (संयुक्त सीमा)
डाइकोफोल	0.05
डाइलड्रीन	0.02
ए- एंडोसलफन	0.1
एंडोसलफनसल्फेट	0.005
एनडरीन	0.005
एचसीएच (आल आइसोमरस)	0.03 (संयुक्त सीमा) α 0.02 β 0.01
लीनडन (γ-वाइएचसीएच)	0.01
माइथोक्सीकालर	0.01
पीसीबी	0.01

(4) पेराथारोइड

साइपरमैथरीन	0.05
डेल्टामैथरीन	0.05
परमैथरीन	0.05
α साइपरमैथरीन	0.05

च) निम्नलिखित एंटोबायोटिक्स अन्य भैषजीय क्रियाशील तत्वों का उपयोग मुर्गी और कुक्कुट का मेडीकेशन या अंडा पाउडर के उत्पादन के किसी भी प्रक्रम पर प्रतिषिध्द होगा।

क्लोरोनपीनीकोल
डीमीट्रीडाजोल
मैट्रोनीडाजोन
नाइट्रोफयूरनस मेटावायोलाइट के साथ 3- अमीनो- 2- ओक्सालीडीनोन (एओजेड), सेमी कारब्राजाईड (एसइएम), 5-मिथाइल - मोरफीलिनो- 3 अमीनो -2 ओक्सालीडीडोन (एएमओजेड) और 1- अमीनों -हाईडानटोन
एन्टीकोकीसाईडाईल्स सहित नाइट्रोइमीडाजोल्स .

परन्तु यदि आयातकर्ता देशों द्वारा नियत की गई अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं से अधिक सीमा इसमें विनिर्दिष्ठ सीमा से अधिक कठोर है तो आयातकर्ता देशों द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं का अनुपालन किया जाएगा।"

2. अंडा उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण तथा मानीटरिंग) (संशोधन) नियम, 2003 के अनुसरण में क्वालिटी नियंत्रण के प्रकार को विनिर्दिष्ट करता है जो निर्यात से पूर्व ऐसे अंडा उत्पादों पर क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग के प्रकार में लागू होगा।

[फा. सं0 6/1/95- ईआई एंड ईपी]

एम.वि.पि.सि. शास्त्री
एम. वि. पि. सि. शास्त्री,
संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल आदेश का.आ. सं. 2077 तारीख 4 अगस्त, 1997 को भारत के राजपत्र भाग - 2, खंड - 3, उपखंड (ii) में तारीख 23.08.1997 को प्रकाशित किए गए थे।